

२०८

**बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,  
कौटिल्य नगर, पटना-14.**

कार्यालय फोन- 0612-2950702

राष्ट्रीय/स्पद्धा/ई० निविदा (एस० बी० डी०)

**ई०-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या - 15 / SBD/2023-24**

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता  | : | मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना।                      |
| 2 | निविदा आमंत्रित करने की तिथि   | : | दिनांक- 21-06-2023  |
| 3 | निविदा डाउनलोड करने की तिथि  | : | दिनांक- 26-07-2023 से 09-08-2023 तक।  |
| 4 | निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय  | : | दिनांक- 11-08-2023 को 17:00 बजे तक।   |
| 5 | प्री बीड मिटिंग की तिथि, समय एवं स्थान   | : | दिनांक- 31-07-2023 को 15:00 बजे।  |
| 6 | (क) तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय   | : | मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना के कार्यालय कक्ष में। |
|   | (ख) वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय  | : | दिनांक- 14-08-2023 को 16:00 बजे।  |
|   | (ग) परिमाण-विपत्र का मूल्य, विधिवत रूप में :<br>अग्रधन की देय राशि एवं शपथ पत्र मूल में<br>जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान | : | तकनीकी बीड का निष्पादन सक्षम प्राधिकार से होने के पश्चात।                         |
| 7 | निविदा पत्र विकी का रथान   | : | कंडिका- 42 के अनुसार  |
| 8 | निविदा की वैद्यता अवधि   | : | <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।          |
| 9 | कार्य का विवरण :-  | : | 120 दिन।  |

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य० अभि०, बि०पु०भ०न० नि०, कार्य प्रमण्डल	परिमाण विपत्र की राशि (लाख र०० में)	अग्रधन की राशि (र०० में)	निविदा कागजात का मूल्य (र०० में)	बीड प्रोसेसिंग चार्ज सेवा कर सहित	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	अररिया जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र अररिया के लिए विभिन्न भवनों का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	5424.52	6424600	10000	As per eproc 2	17 माह

10. निविदा स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता :- सक्षम प्राधिकार
11. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में निर्बंधित हो अथवा अतंराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के निविदा में भाग ले सकते हैं, परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस निर्गत होने के बाद एकराननामा करने के पूर्व बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में समुचित श्रेणी का निर्बंधन अनिवार्य होगा।
12. विद्युतीकरण सहित कार्य की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा, विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य होगा।
13. वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने से वंचित रहेंगे, जिन पर किसी कारणवश पूर्व से आवंटित योजना का कार्य लंबित चल रहा है या जो आवंटित कार्य एकराननामा नहीं किये हैं, या फिर शुरू नहीं किये हैं। राज्य सरकार के किसी भी विभाग या सरथान में किसी भी श्रेणी में काली सूची एवं डिबार किये गये संवेदक इस निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।
14. प्राककलन की राशि घट/बढ़ सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र एवं अग्रधन की राशि संशोधित होगी। निविदा प्रपत्र में Uploaded परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
15. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जाएगा। निविदा संबंधी जानकारी Help Desk के Toll Free No. 18005726571 या E-mail ID [eproc2support@bihar.gov.in](mailto:eproc2support@bihar.gov.in) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

क०प०७०....2/

16. ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेबसाइट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें user id तथा password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificates) भी प्राप्त करना होगा। user id, password DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
17. निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर Tender preview में उपलब्ध है जिसे सिर्फ वेबसाइट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।
18. SBD के Section 2 (Qualification bidders) के आलोक में ई-निविदा के Excel format को पूर्ण रूप से भरा जाना अनिवार्य है। निविदा कागजात भरकर वेबसाइट पर हीं जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खुलने की जानकारी वेबसाइट से ही प्राप्त होगी। निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र निगम के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।
19. क्रमांक-7 में अंकित Bid-Processing charge+service tax का भुगतान संवेदक internet payment gate way (credit/Debit cards) अथवा internet banking अथवा NEFT/RTGS CHALLAN के माध्यम से B.S.E.D.C. के Bid Processing Fee Account में Credit करेंगे।
20. निविदा कागजात का मूल्य की राशि का भुगतान संवेदकों को Eproc2.0 portal online mode में जमा करना अनिवार्य है। किये गये भुगतान से संबंधित कागजात की Scan Copy साक्ष्य के तौर पर निविदा कागजातों के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
21. निविदादाता द्वारा अग्रधन की राशि (EMD) केवल BG (Bank Guarantee) or internet payment gate way अथवा internet banking को ही स्वीकार किया जाएगा। जिसका Verification Online किया जाएगा। अग्रधन की राशि (EMD) सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित होना अनिवार्य है।
22. सशर्त बैंक गारंटी स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा में SBD के विहित प्रपत्र के अनुरूप ही बैंक गारंटी स्वीकार किया जायेगा।
23. कम्पनी एकट के तहत निविदा संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership firm/ LLP में Partnership Deed संलग्न करना अनिवार्य होगा।
24. कम्पनी एकट अथवा साझेदारी अधिनियम के तहत निविदा संवेदक के अग्रधन की राशि कम्पनी/फर्म के नाम से ही मान्य होगी। ऐसे मामले में व्यक्तिगत नाम से अग्रधन की राशि मान्य नहीं होगी।
25. बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकृत करने/रद्द करने/ रथगित/ निविदा तिथि विस्तार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को सुरक्षित है।
26. संवेदक कार्य में समुचित अनुसूचित दर एवं विहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित विशिष्टि के अनुसार सामग्रियों का उपयोग/प्रयोग करेंगे।
27. डिफेक्ट लाइबिलिटी पिरियड तीन वर्ष का होगा। यह तिथि Successful handing over of Project date से लिया जा सकेगा।
28. कुल प्रावकलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत राशि श्रमिकों के लिए कोष (Labour cess) के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा। विहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग के अद्यतन नियमानुसार मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं स्वामित्व (Royalty) की कटौती/वसूली संवेदक के विपत्रों से की जायेगी, तदआलोक खान एवं भूतत्व विभाग में जमा की जायेगी।
29. निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि के पूर्व ही समय रहते हुए परिमाण विपत्र डाउनलोड एवं निविदा अपलोड कर दें, अन्यथा अंतिम समय में इंटरनेट सेवा बाधित रहने अथवा लिंक नहीं होने अथवा किसी तरह के बाध्यता के कारण निविदा नहीं डाले जाने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
30. कार्यादेश के उपरान्त अद्यतन लेबर लाइसेंस देना अनिवार्य होगा।
31. कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार (Responsible) होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जाँच राष्ट्रीय परीक्षण और अंशाशोधन प्रयोगशाला प्रत्याघन बोर्ड (NABL) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला / भारतीय मानक व्यूरो (BIS) / अभियंत्रण संस्थान / सरकारी प्रयोगशाला से अपने खर्च पर अथवा विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय में स्थित गुणनियंत्रण प्रयोगशाला में कराना अनिवार्य है। जाँचफल प्रतिवेदन, संबंधित कार्य प्रमण्डल में समर्पित करने के पश्चात ही, किये गये कार्य का भुगतान होगा।
32. S.B.D. के प्रावधानों के अनुरूप सभी कागजातों के अलावा पहला (i) G.S.T निबंधन प्रमाण-पत्र, (ii) पैन कार्ड, (iii) जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण-पत्र के संबंध में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक- प्र0-7/विविध-04-26/2021-2033 (E) दिनांक- 11-04-2022 लागू रहेगा, तथा (iv) परिमाण विपत्र की राशि Online भुगतान करने के उपरान्त Challan की प्रति एवं अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली कागजात की प्रति भी अपलोड करना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी। निविदाकार द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्र की अवधि निविदा आमंत्रण तिथि तक होना अनिवार्य है।

- नोट:-** एकरारनामा के समय जिला पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण पत्र, कार्यवंटी सम्बेदक / फर्म (कम्पनी एकट के तहत निबंधित कम्पनी के सभी निदेशकों का अलग-अलग चरित्र प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र) एवं योजना कियान्वयन में संबद्ध सभी तकनीकी तथा अन्य कर्मियों का अभिप्राणित छायाप्रति पुनः समर्पित करना अनिवार्य होगा।
33. निविदादाताओं द्वारा निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्य स्थल, प्रावकलन एवं क्वैरी साईट इत्यादि की स्थिति एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता से पूर्णरूप से सतुष्ट होने के पश्चात ही निविदा जमा करने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा। परियोजना का विस्तृत प्राकलित लागत राशि गणना मात्र है, और तकनीकी विशिष्टियों एवं मानक गुणवत्ता के अनुसार कार्य करने के क्रम में क्वैरी परिवर्तन (Lead chart) के अनुसार कोई दावा मान्य नहीं होगा।
34. निविदाकार द्वारा विगत पाँच वर्षों का Financial Turnover (In all classes of civil construction work) Balance Sheet, Profit & Loss Statement एवं Audits Report समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा, साथ ही 1 जुलाई 2019 के बाद चार्टड एकाउन्टेन्ट के स्तर से निर्गत सभी रिपोर्ट / सर्टिफिकेट पर UDIN अनिवार्य होगा।
35. निविदा में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्रों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा मान्य होगा।
36. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No.- 9941/2022 दिनांक- 21-12-2022 के द्वारा पारित न्यायादेश के क्रम में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- प्र0-7 / मुक0-02-25 / 2022-7635 (अनु0), पटना, दिनांक- 23-12-2022 को निर्गत आदेश के द्वारा पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना 447 (S) दिनांक- 16-01-2020 सह पठित ज्ञापांक- 448(S) दिनांक- 16-01-2020 को अगले आदेश तक Stay (स्थिगित) किया गया है। तदआलोक में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक- 2046 (S) दिनांक- 06-03-2014 के अनुसार प्रतिशत दर (Inpercentage rate tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली आगामी सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा 10 प्रतिशत होगी और 10 प्रतिशत से अधिक कम दर उद्धृत निविदाएँ अमान्य की जाएगी। निविदाकारों द्वारा Serious Unbalanced कम दर उद्धृत करने की स्थिति में पूर्ववत् Additional performance guarantee एकरारनामा से पूर्व लिया जायेगा।
37. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ दर वार्ता की जा सकती है एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।
38. निविदा की विज्ञापित तिथि को यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का कार्यालय बन्द हो जाय तब निविदा अगले कार्य दिवस को उसी प्रक्रिया से चार बजे अपराह्न तक प्राप्त की जायेगी।
39. किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुर्णनिविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी। निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा। संबंधित कार्य का आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जायेगा।
40. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम सम्बन्धित कार्य प्रमण्डल या अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, अंचल कार्यालय पटना या मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में, सम्पर्क किया जा सकता है।
41. संवेदक द्वारा निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य है—  
(क) मेरे / हमारे द्वारा निम्नलिखित कार्य कराये जा रहे हैं :—
- | क्र० सं0 | कार्य का नाम संस्था का नाम | एकरारनामा की राशि | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि | अद्यतन स्थिति | अगर एकरारनामा की अवधि के बाद कार्य लम्बित है तो क्यों |
|----------|----------------------------|-------------------|---|---------------|---|
| 1        | 2                          | 3                 | 4   | 5             | 6   |
- (ख) उपर्युक्त स्तम्भ 2 में वर्णित कोई भी कार्य अकारण अर्थात् मेरे / हमारे कारण लम्बित नहीं है।  
(ग) मेरे / हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय / थाना में विचाराधीन नहीं है।  
मुझे / हमें किसी सरकारी / अद्वसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लंबित नहीं है, कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा लंबित नहीं है तथा एकरारनामा के पश्चात् निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ कर दिया हूँ। मेरे द्वारा निर्मित / निर्माणाधीन भवनों में गुणवत्ता से संबंधित कोई आरोप नहीं है।  
(घ) मेरा / हमारा कोई निकट संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के सम्मुख पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल में कनीय अभियन्ता / सहायक अभियन्ता / कार्यपालक अभियन्ता / प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी / लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।  
(ङ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।

- (च) उपरोक्त कंडिका 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने, अथवा कंडिका 'ड' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली या जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे उपर विधिसम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।
42. इ. निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण विपत्र की राशि Online भुगतान करने के उपरान्त Challan की प्रति तथा विधिवत रूप में अग्रदृशन की देय राशि एवं शपथ पत्र मूल रूप में कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल/अधीक्षण अभियंता, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्य अंचल पटना/ मुख्य अभियंता, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना, के लेखा शाखा में, तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय तक, जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
43. जाँच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत पाए जाने पर विहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
44. "Contract Clause-25 of SBD Settlement of Dispute and Arbitration –  
The Settlement of Disputes and Arbitration shall be done in accordance with the Provisions made in Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008."

~~19.6.27~~  
मुख्य अभियंता,  
विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना

ज्ञापांक- एच०क्यू— 2166

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, परिमाण विपत्र शाखा, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना को परिमाण विपत्र अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक— 19/6/23

~~19.6.27~~

मुख्य अभियंता,  
विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना

ज्ञापांक- एच०क्यू— 110 2166

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियन्ता, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल— पटना, दरभंगा, मगध कैम्प डेहरी औन सोन, पूर्णियाँ, राजगीर, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक— 19/5/23

~~19.6.27~~

मुख्य अभियंता,  
विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना

ज्ञापांक- एच०क्यू— 2166

प्रतिलिपि— अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल— 1/2, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ सचिव/ श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक/ कार्यपालक अभियंता, प्रमण्डल— मोनिटरिंग/ विद्युत/ सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण-1/2/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक— 19/6/23

~~19.6.27~~

मुख्य अभियंता,  
विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना

ज्ञापांक- एच०क्यू— 2166

प्रतिलिपि— पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक— 19/6/23

~~19.6.27~~

मुख्य अभियंता,  
विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना

19/6/23  
B.W.